पत्रांक 15/सी 7–10/2014 – 1448

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय।
प्रभारी पदाधिकारी,
वेतन सत्यापन कोषांग।

पटना, दिनांक 24/7/2015

विषयः– वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण के सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण के सत्यापन हेतु वेतन सत्यापन कोषांग का गठन किया गया है। वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा वेतन सत्यापन का कार्य किया भी जा रहा है। वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा किए जा रहे वेतन सत्यापन की कार्रवाई के विरूद्ध कतिपय शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इसी प्रसंग में माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 7636/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2015 को पारित न्यायादेश में वेतन सत्यापन कोषांग की भूमिका तथा विश्वविद्यालयों की भूमिका का निम्नरूपेण निरूपण किया गया है :–

1. वेतन सत्यापन कोषांग का गठन विधिसम्मत है। परंतु वेतन सत्यापन कोषांग एक प्रकार से विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए वेतन निर्धारण की जाँच कर उस पर आवश्यकतानुसार अंकेक्षण आपत्ति दर्ज कर सकता है परंतु वह विश्वविद्यालय द्वारा किए गए वेतन निर्धारण को एकतरफा संशोधित नहीं कर सकता है।

2. न्यायादेश के अनुसार वेतन सत्यापन कोषांग विश्वविद्यालय द्वारा किसी शिक्षक या कर्मी के संदर्भ में किए गए वेतन निर्धारण को यथाआवश्यक संशोधन करने संबंधी अपनी आपत्ति विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा।

3. विश्वविद्यालय/संबद्ध शिक्षक/कर्मी द्वारा वेतन सत्यापन कोषांग के आपत्ति के आलोक में आपना पक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4. यदि विश्वविद्यालय अथवा संबंधित शिक्षक/कर्मी द्वारा प्रस्तुत किए गया पक्ष संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को एक समय सीमा के भीतर समूचित आदेश निर्गत करने हेतु निदेश जारी कर सकेगा। परंतु विश्वविद्यालय के किसी आदेश में संशोधन अथवा आदेश के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण या अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ही लिया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विश्वविद्यालय/ वेतन सत्यापन कोषांग अपने कर्तव्यों का संम्यक निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

24/7/15

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

राकेश